भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 892

दिनांक 26 जुलाई, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

दवाओं की बिक्री

892. **श्री टी. एम. सेल्वागणपति:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में बिना लाइसेंस के दवाओं की बिक्री की अनुमति देने का इरादा रखती है और यदि हां,तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे कदमों से मौजूदा औषधि कानूनों, फार्मेसी विनियमों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों सहित प्रासंगिक कानूनी ढांचे का उल्लंघन नहीं होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उचित विनियमन के बिना ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) दवा बिक्री की अनुमति देने से नशीली दवाओं के दुरुपयोग, प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया के जोखिम में वृद्धि, स्वास्थ्य सेवा में पहुंच में देरी, दवाओं के भंडारण में संभावित समझौता सहित गंभीर खतरे पैदा होते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने ऑल इंडिया आर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स सहित हितधारकों के साथ कोई चर्चा की है, जो उक्त कदम का विरोध कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): देश में बिना लाइसेंस के दवाओं की बिक्री की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि औषध नियम, 1945 की अनुसूची ट के अंतर्गत कुछ विशेष परिस्थितियों में ही कुछ विशेष दवाओं की बिक्री के लिए बिक्री लाइसेंस की आवश्यकता से छूट प्रदान की गयी है।

(ग) और (घ): औषधि और प्रसाधन सामाग्री अधिनियम, 1940 और उसके तहत बनाए गए नियमों में "ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) ड्रग्स" नामक कोई शब्दावली नहीं है। देश में औषधियों की बिक्री के नियमन के लिए उक्त अधिनियम और औषध नियम, 1945 के अंतर्गत पर्याप्त विनियम हैं।

****